(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 708–तीन/2015, विरूद्ध आदेश दिनांक 19–12–2014 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना पोहीर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण कमांक 51/2010–11/अपील माल

.....

शैलेन्द्र उर्फ शैलू पुत्र श्री केशव प्रसद भार्गव
निवासी–ग्राम पोहरी तहसील पौहरी, जिला शिवपुरी

.....आवेदक

विरूद्ध

1. अफजल बेग पुत्र श्री असलम बेग
   निवासी शितोले साहब की कोठी के पास,
   आई.टी.आई. रोड, शिवपुरी म0प्र0
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार
   तहसील पोहरी जिला शिवपुरी

..... अनावेदकगण

.....

श्री राजीव रघुवंशी, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 09 सितम्बर 2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी परगना पोहीर जिला द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ याचिकाकर्ता अभिभाषक ने तर्क दिया कि ग्राम मचाखुर्द तहसील पोहरी स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 22/2 पुराना व नया 344/1 रकवा 6 बीघा का वर्ष 2003 से कब्जाधारी होकर खेती करता चला आ रहा है तथा उससे पूर्व उसके पिता विगत 30–35 वर्षों से कब्जाधारी होकर काश्त करते रहे हैं। अनावेदक कमांक 1 ने तहसीलदार से सांठ–गांठ कर उक्त भूमि का पट्टा प्राप्त

कर लिया तथा बिना कलेक्टर की अनुमति के तहसीलदार से मिलनकर प्रकरण कमांक 37/अ–6/09–10 में पारित आदेश दिनांक 27–9–2010 से विकय से वर्जित होने की टीप को विलोपित किये जाने संबंधी आदेश प्राप्त कर लिया। तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व विधि की प्रकिया का पालन नहीं किया। उक्त प्रकरण में आवेदक पक्षकार नहीं था। इसलिए जानकारी के दिनांक से आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में मान्य करना चाहिए थी। आवेदक को आदेश की जानकारी दिनांक 1–8–2011 को होने पर उसने उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति निकलवाकर अपील अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत की तथा धारा 5 अवधि विधान का आवेदन भी पेश किया, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 19–12–2014 को बिना किसी आधार के अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में त्रुटि की है। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में निगरानी के साथ प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यपित प्रति का अवलोकन किया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 19–12–2014 के द्वारा आवेदक की अपील को अवधि बाह्य होने से निरस्त की है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में यह प्रावधान है कि यदि अपील प्रकरण परिसीमा की बाधा के कारण खरिज हो जाता है, तब ऐसा आदेश संहिता की धारा 44(2) के अधीन अपील योग्य है। स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश के विरूद्ध आवेदिका को द्वितीय अपील में उपचार उपलब्ध था। अतः परिस्तियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील कर सकता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर